कार्यालय जनपद न्यायाधीश, गाजीपुर

आदेश

प्रभारी अधिकारी नजारत, जनपद न्यायालय, गाजीपुर के पत्र दिनांकित 08–09–2020 के माध्यम से मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर को यह सूचित किया गया है कि जनपद न्यायालय, गाजीपुर में कार्यरत कर्भचारीगण श्री विपुल कुमार शर्मा, श्री अभिषेक कुमार मिश्रा, श्री कृपाशंकर यादव, दीपक गुप्ता तथा विजय कुमार की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पाजीटिव पायी गयी है। ऐसी स्थिति में जनपद न्यायालय, गाजीपुर में दिन प्रतिदिन कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के उद्‌देश्य से सम्पूर्ण जनपद न्यायालय, गाजीपुर के न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ताओं के चेम्बर के सेनेटाईजेशन हेतु न्यायालय बंद कर सेनेटाईजेशन कार्य कराने के बाबत यह सूचना चाही गयी है कि कितने समय में जनपद न्यायालय, गाजीपुर के न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ताओं के चेम्बर का सेनेटाईजेशन कार्य पूर्ण हो सकता है।

उक्त के परिप्रेक्ष्य में प्रभारी मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर के पत्रांक कोविड–19/सेन्टाईजेशन/मा0 न्याया0/ 2020–21 दिनांकित 09–09–2020 द्वारा जनपद न्यायालय, गाजीपुर के सम्पूर्ण न्यायालय परिसर के सेनेटाइजेशन हेतु दिनांक दिनांक 10–09–2020 से दिनांक 13–09–2020 तक का समय चाहा गया है।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के माध्यम से जारी गाईडलाइन के बिन्दु संख्या 14 व 15 में दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। इस कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन, गृह गोपन अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या 1431/2020/सीएक्स–3 दिनांकित 06–06–2020 में दिये गये दिशा–निर्देश के भाग–ख जो कार्यालयों से संबंधित दिशा–निर्देश हैं, के बिन्दु संख्या–5 के अनुसार कोविड–19 का केस पाये जाने पर कार्यालय को सेनेटाइजेशन हेतु 48 घण्टे के लिए बंद किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03 June, 2020 के प्रस्तर 15 सपठित पत्र संख्या 1293/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 16.07.2020 में दिये गये दिशा–निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 10–09–2020 व 11–09–2020 को दीवानी न्यायालय, मुख्यालय गाजीपुर, न्यायालय परिसर के सेनेटाईजेशन के उद्‌देश्य से पूर्णतः बंद रहेगा। उल्लेखनीय है कि दिनांक 12–09–2020 व 13–09–2020 कमशः द्वितीय शनिवार अवकाश एवं रविवार अवकाश दिवस है। अतएव उपरोक्त अवधि में पूर्ण न्यायालय परिसर एवं अधिवक्तागण के चेम्बर इत्यादि का सेनेटाईजेशन कोविड–19 निवारण समिति, दीवानी न्यायालय, गाजीपुर के निर्देशन में कराया जाए तथा सेनेटाईजेशन के बाद समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करे। इस बीच अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आदेशित किया जाता है कि वे आवश्यक कार्य घर से सम्पादित करेंगे। जैसा कि माननीय न्यायालय के पत्र संख्या 1298/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 28.07.2020 एवं ई–मेल दिनांकित 05–08–2020 में प्रदत्त है।

माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त पत्र में दिये गये निर्देशों के कम में जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर से यह अपेक्षित किया जाता है कि न्यायालय बंद रहने की उक्त अवधि के अन्दर जनपद न्यायालय, गाजीपुर के सम्पूर्ण न्यायालय परिसर एवं अधिवक्ताओं के चेम्बर का सेनेटाईजेशन कराया जाना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की एक प्रति जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर, पुलिस अधीक्षक, गाजीपुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, गाजीपुर तथा जनपद गाजीपुर के समस्त बार एसोसियेशन के अध्यक्ष/महासचिव को अविलम्ब भेजी जाए।

साथ ही उक्त आदेश से सभी सम्बन्धित अधिकारी एवं कर्मचारीगण को भी अवगत कराया जाए। वाह्य न्यायालय स्थित सैदपुर एवं मुहम्मदाबाद पूर्व की भांति खुले रहेंगे।

Scanned with CamScanner

साथ ही आदेश की एक प्रति नोडल आफिसर कम्प्यूटर, जनपद न्यायालय गाजीपुर को इस आशय से प्रषित की वे इसे जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें एवं आदेश की एक प्रति सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की जाए कि वे इसका प्रकाशन दैनिक समाचारपत्रों में कराना सुनिश्चित करें। उक्त के बाबत सूचना माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को भी प्रेषित हो।

Raghuvendra 9/9/20

जनपद न्यायाधीश,
गाजीपुर।

जनपद न्यायाधीश
गाजीपुर

दिनांक : सितम्बर 09, 2020

Scanned with CamScanner